

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/ना०सु०-03-02/2018

48

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 30/8/18

विषय:- प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु नगर परिषद्, सहरसा को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की कोषागार से निकासी नहीं होने अथवा निकासी के उपरांत ससमय व्यय नहीं होने के कारण कोषागार में जमा किये गये कुल ₹218.71592 लाख (दो करोड़ अठारह लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ बानवे रु०) मात्र में से तत्काल ₹123.71592 लाख (एक करोड़ तेईस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ बानवे रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर परिषद् में कुल ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) एवं दक्षिण बिहार में स्थित नगर परिषद् में ₹311.29 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राकल्पन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त के आलोक में नगर परिषद्, सहरसा में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राशि विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा द्वारा उक्त आवंटित राशि में से निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अपरिहार्य कारणों से निकासी नहीं होने तथा निकासी की गई राशि के पश्चात् योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण विभागीय निदेश के आलोक में राशि कोषागार में जमा करने की सूचना देते हुए पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त से संबंधित अनिकासी प्रमाण-पत्र/चालान की प्रति विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

4. तदनुसार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा द्वारा कोषागार से निकासी नहीं की गयी अथवा कोषागार में जमा की गई राशि में से वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में तत्काल

₹123.71592 लाख (एक करोड़ तेईस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ बानवे रु०) मात्र की स्वीकृति निम्न तालिका के स्तम्भ- 7 के अनुरूप निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)							
क्र० सं०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	अनिकासी/कोषागार में जमा की गई राशि	नगर निकाय के पास उपलब्ध राशि	चालू वित्तीय वर्ष में तत्काल स्वीकृत अनिकासी/कोषागार में जमा की गई राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद्, सहरसा	392.92000	392.92000	218.71592	174.20408	123.71592	95.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹123.71592 लाख (एक करोड़ तेईस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ बानवे रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. स्वीकृत कुल ₹123.71592 लाख (एक करोड़ तेईस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ बानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

8. स्वीकृत कुल ₹123.71592 लाख (एक करोड़ तेईस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ बानवे रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष- 0101-नगर परिषदों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक

13

अनुदान, विपत्र कोड— 48-2217031920101, विषय शीर्ष— 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

9. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 7355 वि(2), दिनांक— 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/ना०सु०-03-02/2018 के पृष्ठ सं०—27/टि० पर दिनांक—29.08.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०—27/टि० पर दिनांक—29.08.18 को प्राप्त है।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सहरसा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30.08.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक—2ब/ना०सु०-03-02/2018 48 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक—30/8/18

प्रतिलिपि:— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सहरसा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा/मुख्य अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी— 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.08.18

सरकार के विशेष सचिव।